रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-**1507**/2026/1215/22-02-2026-17(672)/2026
लखनऊ: दिनांक: **30** अक्टूबर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी वृन्दा देवी (बन्दी सं0-2859) पत्नी श्री पुरूषोत्तम मिश्र, मड़कड़ा, थाना-भलुअनी, जनपद-देवरिया की निवासिनी है, जिसे एस0टी0नं0-127/2018 में धारा-498ए,304बी आई०पी०सी० व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-प्रथम, देवरिया के दण्डादेश दिनांक 26.09.2024 द्वारा 10 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 19.10.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 01 माह, 24 दिन तथा 01 वर्ष, 04 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-**1507**/2026/1215(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
3- पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
4- अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in